


विविध बैंक प्र0सं0 102/2017 पंजाब एण्ड सिंध बैंक मैन ब्रान्च, श्रीगंगानगर
 बनाम 1-मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राइजेज प्रो. श्री दीपक बंसल पुत्र श्री सुरेन्द्र
 बंसल, दुकान न0 5 न्यू मार्केट, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर व प्लाट न0 26
 बिनोवा बस्ती, श्रीगंगानगर (ऋणी) 2-श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री सुरेन्द्र बंसल
 प्लाट न0 26 बिनोवा बस्ती श्रीगंगानगर, प्लाट न0 6-ई-37 जवाहरनगर
 श्रीगंगानगर, दुकान न0 10 प्लाट न0 07 जी ब्लॉक, प्रथम मंजील श्रीगंगानगर
 (गारन्टर) 3-अजय बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र बंसल प्लाट न0 4-बी-46
 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर (गारन्टर)



06.02.2018

प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अभिभाषक श्री गुरचरण सिंह उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस दिनांक 10.01.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अभिभाषक श्री गुरचरण सिंह का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राइजेज प्रो. श्री दीपक बंसल पुत्र श्री सुरेन्द्र बंसल (अ) दुकान न0 5 न्यू मार्केट, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (ब) प्लाट न0 26 बिनोवा बस्ती, श्रीगंगानगर-ऋणी को ऋण सुविधा के रूप में 4,40,000/-रूपये (अखरे चार लाख चालीस हजार मात्र) ऋण दिनांक 17.07.2013 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री सुरेन्द्र बंसल ने अपनी सम्पति दुकान न0 10, प्लाट न0 7, जी ब्लॉक, प्रथम तल, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 140 वर्गफीट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नियमित रूप से नहीं करने के कारण अप्रार्थी ऋणी का ऋण खाता दिनांक 30.09.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राइजेज प्रो. श्री दीपक बंसल की ओर दिनांक 30.09.2016 तक ऋण राशि 4,68,051.32/-रूपये एवं आगे का ब्याज तथा अन्य खर्च बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के नोटिस दिनांक 18.10.2016 को रजि0 डाक से भिजवाये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप प्रस्तुत किया है। इसलिए अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री सुरेन्द्र बंसल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पति दुकान न0 10, प्लाट न0 7, जी ब्लॉक, प्रथम तल, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 140 वर्गफीट का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राइजेज प्रो. श्री दीपक बंसल पुत्र श्री सुरेन्द्र बंसल (अ) दुकान न0 5 न्यू मार्केट, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (ब) प्लाट न0 26 बिनोवा

सा.ल.
 जिला मजिस्ट्रेट
 श्री गंगानगर

बस्ती, श्रीगंगानगर-ऋणी को ऋण सुविधा के रूप में 4,40,000/-रूपये (अखरे चार लाख चालीस हजार मात्र) ऋण दिनांक 17.07.2013 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री सुरेन्द्र बंसल ने अपनी सम्पति दुकान न० 10, प्लाट न० 7, जी ब्लॉक, प्रथम तल, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 140 वर्गफीट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 18.10.2016 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि० नोटिस जारी किये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा मांग सूचना के उत्तर में न तो कोई आक्षेप प्रस्तुत किया है और न ही प्रार्थी बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स हार्दिक एन्टरप्राइजेज प्रो. श्री दीपक बंसल पुत्र श्री सुरेन्द्र बंसल-ऋणी, श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री सुरेन्द्र बंसल-गारन्टर व श्री अजय बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र बंसल-गारन्टर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि० डाक से नोटिस दिनांक 18.10.2016 को भिजवाये गये। पत्रावली में उपलब्ध रजि० डाक रसीदें एवं रजि० एडी रसीदों के अनुसार तथा प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण की ओर से न तो प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा करवाई है और न ही नोटिस के उत्तर में अपना कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री सुरेन्द्र बंसल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पति दुकान न० 10, प्लाट न० 7, जी ब्लॉक, प्रथम तल, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 140 वर्गफीट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक मैन ब्रान्च, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया गारन्टर श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री सुरेन्द्र बंसल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पति दुकान न० 10, प्लाट न० 7, जी ब्लॉक, प्रथम तल, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 140 वर्गफीट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर